| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.17/2023 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 27.12.2023 | पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, निवासी– सारणेश्वर मन्दिर के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर महादेव मंदिर के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही) के अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (Banaskantha Dist. Co-opretive Milk Producer Union Ltd., Banas Dairy, Palanpur-385001 (Guj.)) के प्रतिनिधि अनुस्थित।<br>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी मुकेश कुमार के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.1.2022 को फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर महादेव मन्दिर के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मुकेश कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1576 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./164/Act/2022/207 दिनांक 03.2.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी मुकेश कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी मुकेश कुमार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी मुकेश कुमार ने जरिये बिल घी (बनास ब्राण्ड) क्रय किया था एवं घी (बनास ब्राण्ड) की निर्माता फर्म को पक्षकार बनाये ही यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है। जिस पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2023 को इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत खाद्य पदार्थ घी (पदम ब्राण्ड) की निर्माता Banaskantha Dist. Co-opretive Milk Producer Union Ltd., Banas Dairy, Palanpur-385001 (Guj.)को पक्षकार (प्रतिवादी संख्या–2) बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया, लेकिन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 (Banaskantha Dist. Co-opretive Milk Producer Union Ltd., Banas Dairy, Palanpur-<br>....लगातार | |

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:23:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.17/2023 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|

385001 (Guj.) को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी Banaskantha Dist. Co-opretive Milk Producer Union Ltd., Banas Dairy, Palanpur-385001 (Guj. की ओर से कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादी Banaskantha Dist. Co-opretive Milk Producer Union Ltd., Banas Dairy, Palanpur-385001 (Guj. के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 15.12.2023 को प्रतिवादी मुकेश कुमार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादी मुकेश कुमार के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी मुकेश कुमार की फर्म मुकेश किराणा स्टोर में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खाद्य पदार्थ घी (बनास) का नमूना लेने की कार्यवाही मौके पर प्रतिवादी मुकेश कुमार के सक्षम सम्पादित नही की एवं न ही प्रतिवादी मुकेश कुमार को NABL ACCREDETED LAB से जांच कराने के संबंध में कोई जानकारी या सूचना दी है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी मुकेश कुमार के खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करवाये थे। प्रतिवादी मुकेश कुमार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा NABL ACCREDETED LAB से जांच कराने की सूचना नही देने से प्रतिवादी खाद्य पदार्थ घी (बनास) के नमूने की पुनः जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है। प्रतिवादी मुकेश कुमार ने घी (बनास ब्राण्ड) को पैकिंग अवस्था में जरिये बिल खरीद किया एवं पैकिग अवस्था में ही विक्रय किया है, इसलिये अमानक खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म बनास डेयरी ही दोषी है। अतः प्रतिवादी मुकेश कुमार को दोषमुक्त किया जावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 11.1.2022 को फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मन्दिर के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, जाति-- अग्रवाल, निवासी– सारणेश्वर मन्दिर के पास, जनापुर उपस्थित मिले, जो फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर मन्दिर के पास, जनापुर में आम जन को खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) का विक्रय करता [illegible] अधिकारी द्वारा फर्म मुकेश किराणा स्टोर की दुकान [illegible]ण के दौरान दुकान के अन्दर आमजन के [illegible] घी (बनास ब्राण्ड) के 9 पैक्ड टीन [illegible]टर) में मिलावट का

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:23:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.17/2023 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | शक होने से तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के 4 पैक्ड टीन कंटेनर (प्रत्येक एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर खरीदशुदा घी (बनास ब्राण्ड) के 4 पैक्ड टीन कंटनरों के नियमानुसार चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकार प्रत्येक नमूना भाग को विधि अनुसार सील चपडी कर अपने कब्जे में लिया व मौके पर मौके फर्द तैयार की। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नंब. 5ए, खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के क्रय की रसीद/बिल व मौका फर्द आदि दस्तावेज उपलब्ध है, जिन पर विक्रेता मुकेश कुमार, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत क्रय करने की कार्यवाही विधि अनुसार की गई है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1576 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./164/Act/2022/ 207 दिनांक 03.2.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुकेश कुमार ने खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है, ऐसी स्थिति मे खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के क्रय के बिल के अभाव में निर्माता Banaskantha Dist. Co-opretive Milk Producer Union Ltd. दोषी प्रतीत नही होती है। चूंकि प्रतिवादी मुकेश कुमार ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।<br>**आदेश**<br>अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी मुकेश कुमार स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (बनास ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, निवासी सामोद्या तालाब के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही जो कारोबारकर्ता एवं<br>.....लगातार | |

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:23:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>F.S.S.Act Case No.17/2023 | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर महादेव मंदिर के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी मुकेश कुमार पुत्र उमरावमल जी अग्रवाल, निवासी– सारणेश्वर मन्दिर के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मुकेश किराणा स्टोर, सारणेश्वर महादेव मंदिर के पास, जनापुर, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 09.2..2024 को पेश हो।<br><br>(डॉ. भास्कर बिश्नोई)<br>अति. जिला मजिस्ट्रेट<br>सिरोही–307001.<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Bhaskar Bishnoi<br>Date: 2024.01.30 17:23:54 IST<br>Reason: SelfAttested | |